

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।
विषय—सूची

झाल विश्वविद्यालय के विवरणों वर्ते यह विवादित रूप में अधिनियमित हो।

प्रस्तावना ।

जिस विधेयक की विवादित रूप में अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 का।
2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 67(क) के निम्न परिच्छेद का प्रतिस्थापनः—धारा—67, उपधारा—(क) का संशोधन।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 67(क) के निम्न परिच्छेद का प्रतिस्थापनः—धारा—67, उपधारा—(क) में निम्न घरेलूढ़ “विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शब्दों एवं विश्वविद्यालय द्वारा योगित उनके सम्बन्ध अधिकारी की सेवानिवृत्ति की विधि इस अधिनियम के रूप के प्रलिप्त में प्रकाशित होने की विधि से वह होती, जिस विधि की वह वास्तव वर्ते की असु प्राप्त कर ली। विश्वविद्यालय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की विधि वह विधि की वह वास्तव वर्ते की असु प्राप्त कर ली।

निम्न प्रस्तावना दो प्रतिस्थापित विधेयकालय का है।

विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शब्दों एवं परिच्छेद द्वारा प्रोत्तर उनके सम्बन्ध अधिकारी की सेवानिवृत्ति की विधि इस अधिनियम के रूप के प्रलिप्त में प्रकाशित होने की विधि से वह होती, जिस विधि की वह विधि वर्ते की असु प्राप्त कर ली। विश्वविद्यालय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की विधि वह विधि की वह वास्तव वर्ते की असु प्राप्त कर ली।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह तुरंत प्रभावी होगा ।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 67(क) के निम्न परिच्छेद का प्रतिस्थापनः—धारा—67, उपधारा—(क) में निम्न परिच्छेद “विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षकों एवं परिनियम द्वारा घोषित उनके समतुल्य अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि इस अधिनियम के राज्य के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वह होगी, जिस तिथि को वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि वह होगी, जिस तिथि को वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें।”

निम्न प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षकों एवं परिनियम द्वारा घोषित उनके समतुल्य अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि इस अधिनियम के राज्य के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वह होगी, जिस तिथि को वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि वह होगी, जिस तिथि को वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें।”

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष।